अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्या 248 / 2013** योगनारायण शर्मा — अपीलार्थी वनाम सुशील शर्मा एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स –::आदेश::– प्रस्तुत अपील वाद योगनारायण शर्मा द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज, द्वारा पारित आदेश दिनांकः 11.05.2013 ई0 अंदर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 154 / 2012–13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद में मौजाः परसागढ़ी खाताः पुराना 273, नया 779 ख, खेसरा पुराना 3375, नया 1400, रकबाः 0.07 डी0 जमीन विवादी भूमि है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि उभय पक्ष एक ही पूर्वज के वंशज हैं। प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत मुसाई सुतिहार, पे०–उमराव सुतिहार थे। मुसाई सुतिहार के 06 पुत्रों रसिकलाल शर्मा, वो राम सुन्दर शर्मा, वो कृष्णदेव शर्मा, वो विशुनदेव शर्मा, वो राम प्रसाद शर्मा, दूधराज शर्मा के बीच रिविजनल सर्वे के पूर्व पैतृक सम्पत्ति का आपूसी विभाजन हुआ। प्रश्नगत खेसरा जिसकी खतियानी रकवा–11 डी० रही है में से 07 डी० अपीलार्थी / वादी के पिता राम प्रसाद शर्मा को प्राप्त हुआ। शेष 4 डी० राम सुन्दर शर्मा को प्राप्त हुआ। रिविजनल सर्वे के क्रम में बँटवारा के अनुसार सभी फरीकैनों का खाता खुला। जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी / वादी को प्राप्त है। जमाबंदी संख्याः– 337 बनाम अपीलार्थी / वादी के पिता राम प्रसाद शर्मा, बिहार सरकार के सिरिस्ता में अन्य जमीनों के साथ प्रश्नगत जमीन भी सन्निहित हैं बतलाते हैं।	

अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकृत करते हुए प्रश्नगत जमीन पर से अनाधिकृत संरचना को हटाकर उस पर दखल कब्जा सुनिश्चित करने का आदेश पारित करने का अनुरोध निम्नन्यायालय के समक्ष किया गया था, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उक्त वाद में यह आदेश पारित किया गया कि *प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत मुसाइ सुतिहार थे। उभय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज हैं। वादी दो भाई हैं परंतु वाद केवल एक भाई के द्वारा दायर है। वाद दायर करने में वादी के भाई की सहमति प्राप्त नहीं है, जो कि आवश्यक पक्षकार दोष से पीड़ित है। वादी उक्त प्रस्तुत साक्ष्य एवं जमाबंदी संख्याः 337 से संबंधित लगान रसीद से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रश्नगत जमीन वादी के पिता की जमाबंदी का अंश भाग है या नहीं। द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल जमाबंदी संख्याः– 334 बनाम कृष्णदेव शर्मा की लगान रसीद से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्ष की उक्त जमाबंदी में सन्निहित है। रिविजनल सर्वे जिसका अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है, उसके आधार पर दावा विधि मान्य नहीं है। वादी को पूर्वज की भूमि में से कितना अंश प्राप्त होना चाहिए यदि इसके निर्धारण एवं आपूसी समझौते से असंतुष्ट हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय जाना चाहिए।*

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के अवलोकनोपरान्त पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा विवादी भूमि का स्थनीय जॉच नहीं किया गया है। अतएव अपीलवाद को स्वीकृत करते हुए निम्नन्यायालय को निदेश दिया जाता है कि स्थलीय जॉच कर एवं उभय पक्षों के कागजातों के सुक्ष्म परिशीलनोपरान्त समुचित आदेश पारित करने हेतु पुनःप्रेषित (Remand) किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा